FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि स्व0 कालू जाति खटीक निवासी ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हनुमान खां पुत्र श्री भंवरलाल जाति डाढ़ी मुसलमान निवासी ग्राम नोहरिया क्षेत्र मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0 नंबर 259/2019

ऑन लाईन नंबर 2019/000....

वकील प्रार्थीगण श्री पवन प्रकाश कुमावत वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.11.2019	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर उनकी एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 5 के कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि वाके ग्राम नोहरिया पटवार हल्का मुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के वर्तमान खसरा संख्या 145/675 नया खाता संख्या 235 पुरानी 171 में रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि बारानी थर्ड स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 के पति/पिता कालू पुत्र हरलाल खटीक का वर्ष 1970 से पूर्व के कब्जा काश्त था। उक्त भूमि को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 5 के पिता को भूमिहीन होने के कारण दिनांक 02.06.1984 को आवंटन/नियमन की गई थी। उक्त भूमि को आवंटन पश्चात् उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के आदेश क्रमांक 6356–58 दिनांक 18.06.1984 के आधार पर उक्त भूमि के उक्त रकबा पर प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 5 के पिता कालू पुत्र हरलाल का नाम अमल दरामद करने हेतु नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 03.08.1984 भरा गया जिसे राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया था। किन्तु उक्त नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2031 सम्वत् 2033 तक की खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 5 के पिता कालू पुत्र हरलाल का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त दर्शाया गया है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता भंवरलाल पुत्र हरजी ढाढी ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर वादग्रस्त आराजी को वर्किंग जमाबन्दी में अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर खातेदार के रूप में अंकन करवा लिया जो गैर कानूनी है। वर्किंग जमाबन्दी में इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता की मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 व उनकी माता बिदाम ने नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 25.07.1991 के जरिये विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजी की गैर खातेदारी से खातेदारी दिनांक 25.02.1992 को करवा लिया। उनकी माता बिदाम की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा उनकी बहीन रहीसा, सुबराती के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया। रहीसा एवं सुबराती द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग अपने हिस्से की जमीन का कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

Scanned by CamScanner

उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है एवं उक्त भूमि पर सम्वत् 2031 के पूर्व से ही प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 5 के पिता का कब्जा चला आ रहा है। उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 5 का कब्जा काश्त निरन्तर रूप से चला आ रहा है। उक्त भूमि का प्रार्थी अप्रार्थी के पिता को दिनांक 02.06.1984 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी को निरन्तर बैचान करने की धमकी दी जा रही है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू होने के कारण निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि अप्रार्थीगण वाद निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को रहन बैचान बेबक्शीश ना करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में अप्रार्थी सं0 1 व 2 का नाम अंकित है एवं प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। **Jagdish Lal Vs. Parmeshwar Lal 1997 RBJ 621:1997 RRD 591; Jagdish Singh Vs. Ram Karan 2012 RRD 20:2012(1) RRT 43:2012 RBJ 5:2012 RLW RJ 60,** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतः एक अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **Sardar Vs. Girraj Prasad 1984 RRD 492** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से बाधित नहीं किया जा सकता है। **Devilal V/s Ramesh and Ors. 2001 SCC Online BOR (Raj) 2:2002 RLW (Rav) 107** में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देते समय वादग्रस्त आराजी पर कब्जे की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दस्तावेजों के अवलोकन से हम यह पाते है कि प्रार्थीगण ना तो रिकार्डेड खातेदार है एवं ना ही उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि वे उक्त आराजी पर उनका इस समय कोई कब्जा है। प्रथम दृष्टया वे अपना बिन्दु सिद्ध करने में असफल होने के कारण उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Devendra

देवेन्द्र कुमार
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.24 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: